खबरों में शहर

वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे के खिलाफ याचिका दायर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 मई।

व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वालमार्ट-फ्लिपकार्ट के बीच हाल ही में हुए सौदे के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक याचिका दायर की है। याचिका कैट के वकील अबीर रॉय ने दाखिल की। कैट के अध्यक्ष बीसी भरतिया और महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि कैट ने अपनी याचिका में दोनों कंपनियों के मिलने पर एतराज जताते हुए कहा है कि वालमार्ट कथित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है और फिलपकार्ट प्लेटफार्म पर लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, भारी छूट और नुकसान की भरपाई के रास्ते से अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा, जिससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान होगा और वे इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कैट ने अपनी याचिका में कहा है कि फ्लिपकार्ट विसंगतियों से भरा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म है जहां लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, कुछ व्यक्तियों या कंपनियों के साथ एकल समझौते व कुछ खास खास रिटेलरों को तरजीह देना शामिल है।

पदोन्नति न करने पर जताई नाराजगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 मई।

हंसराज कॉलेज में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत शिव कुमार की डेढ़ साल से पदोन्नति रोकने पर सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेज डॉ आंबेडकर कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक ने आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश, महासचिव सुरेश चंद्रा, सह सचिव मुन्नी लाल और कार्यकारिणी सदस्य निर्मला ने कॉलेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉ रमा से मुलाकात कर पदोन्नति की मांगी की। एसोसिएशन का कहना है कि प्राचार्य ने पदोन्नति करने से साफ मना कर दिया है और धमकी दी है।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हैबीटाट सेंटर: रवींद्र नाथ टैगोर के बांग्ला नाटक 'चीरो कुमार सभा' पर चर्चा, द स्टेन ऑडिटोरियम, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

इंडिया हैबीटाट सेंटर : रचनात्मक लेखन कार्यशाला, सेंटर परिसर, लोधी रोड, सुबह 10.30 से 12 बजे।

इंडिया हैबीटाट सेंटर: नाट्य कार्यशाला, महागोनी ऑडिटोरियम, सेंटर परिसर, लोधी रोड, दोपहर दो से पांच बजे।

महिला का फोन आने के बाद जल्दी लौटने की बात कह कर घर से निकला था

युवक को घर बुलाकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

- आरोपी ने युवक के पिता को भी दी जान से मारने की धमकी, हत्या की वजह फिलहाल पता नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 मई।

बदरपुर के गौतमपुरी इलाके में एक युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप युवक के घर से कुछ दूर रहने वाले सोनू (35) पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस युवक की हत्या की गई है, उसका नाम निखिल कुमार (24) है। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला है कि निखिल के पास रविवार रात 12 बजे किसी महिला का फोन आया था। फोन पर बात करने के बाद वह घर से यह कह कर निकला कि जल्दी लौट आएगा। लेकिन जब वह काफी देर तक नहीं आया तो पुलिस को सूचना गई। पुलिस ने निखिल के शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है।

निखिल के भाई बाबू साहब ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ गौतमपुरी में रहते हैं। उनके परिवार में पिता मोती लाल गुप्ता, मां, तीन भाई और पांच बहनें हैं। चार बहनों और दो भाइयों की शादी हो गई हैं। निखिल उनका सबसे छोटा भाई थे और इलाके में ही मोबाइल की दुकान चलाता थे। रविवार रात को किसी महिला का फोन आने के बाद वह घर से यह कहकर निकला कि बहुत जरूरी काम है। जल्दी ही लौट आऊंगा। लेकिन जब वह काफी देर तक नहीं लौटा तो उनके पिता निखिल को खोजने लिए निकले। घर से कुछ दूरी पर जब वे सोनू के घर के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था, जोकि खून से सना हुआ था। मोती लाल को देखते ही सोनू ने कहा कि निखिल को तो खत्म कर दिया, अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही मोती लाल अपने घर की ओर भागे।

इसके बाद मामले की शिकायत लेकर निखिल के परिजन जब पुलिस चौकी जाने लगे, तो उन्हें पुलिस की टीम गश्त करती हुई मिल गई। परिजनों ने वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस सोनू के घर पहुंची, जहां निखिल खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पुलिस उसे लेकर पास के अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बदमाशों ने हथियार के बल पर कार लूटी

बवाना में कार सवार बदमाशों ने देर रात हथियार के बल पर एक युवक से उसकी कार लूट ली। पीड़ित युवक का नाम राजबीर है। पीड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी थी और हवा में गोलियां भी चलाई थी। वहीं, रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त रंजनीश गुप्ता ने गोली चलने की घटना से इनकार किया है। उनका कहना है कि लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया गया है और बदमाशों की छानबीन की जा रही है।

मजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम और कालकाजी मंदिर के बीच की 24.82 किलोमीटर लंबी दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन के दूसरे खंड का सोमवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही हवाई अड्डे का घरेलू टर्मिनल भी मेट्रो नेटवर्क से जुड़ गया। अब नोएडा से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचना आसान होगा और दिल्ली से गुरुग्राम की यात्रा में समय व किराए दोनों की बचत होगी। नई लाइन पर आज से आम लोग कर सकेंगे सफर।

मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 28 मई।

किसानों ने मांगें पूरी नहीं होने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (अंबावत) की अगुआई में बेमियादी धरना शुरू किया है। इसके कारण प्राधिकरण के तहत कराए जाने वाले सभी विकास कार्यों को बंद करा दिया गया है। धरने की वजह से सेक्टर-155, 156 व 157 के अलावा बदौली बांगर, बदौली खादर, झट्टा, कोंडली आदि में चल रहे नाली-सड़क, सीवर आदि के काम ठप पड़ गए हैं।

भारतीय किसान यूनियन (अंबावत) के प्रदेश अध्यक्ष जग्गी पहलवान ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण अपने वादे से मुकर रहा है। किसानों को अभी तक 10 फीसद भूखंड नहीं दिए गए हैं, जबकि काफी किसानों को 64.7 फीसद का बढ़ा हुआ मुआवजा तक नहीं दिया गया है। किसानों ने तपती गर्मी में भी इस आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया है।

जेटली ने मानहानि का मुकदमा वापस लिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 मई।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और कवि कुमार विश्वास पर किया मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है। कुमार विश्वास ने अरुण जेटली को पत्र लिख कर पूरे मामले में अपना पक्ष स्पष्ट किया, जिसके बाद यह मुकदमा वापस लिया गया।

'आप' प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मामले में नामित अन्य पार्टी नेताओं ने पहले ही जेटली से माफी मांग ली थी, लेकिन कुमार ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। कुमार ने जेटली को लिखे पत्र में केजरीवाल को आदतन झूठा बताया है। कुमार विश्वास ने अरुण जेटली को लिखे पत्र में कहा है कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही उन्होंने पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं के साथ उनकी बात दोहराई थी।

'आप' विधायक के घर पर चलीं गोलियां

- वारदात के वक्त घर के भीतर था विधायक का परिवार, मौजूद नहीं थे विधायक
- सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान और तलाश में जुटी पुलिस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 मई।

जनकपुरी से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक राजेश ऋषि के घर पर रविवार रात अज्ञात हमलवारों ने कई रांउड गोलियां चलाईं। घटना रात करीब 8.30 बजे की है। गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी। घटना के समय सभी लोग घर के अंदर थे, जबकि विधायक ऋषि राज किसी पार्टी में थे। पूरा घटनाक्रम घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। वारदात की सूचना मिलने पर विधायक घर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने विधायक के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है।

राजेश ऋषि ने पुलिस को बताया कि जब गोली चली, तब उनके परिवार के लोग घर के अंदर थे। हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाईं। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि हमलावर आठ थे और वे हाथों में डंडे, बेसबॉल बैट और पिस्तौल लेकर आए थे। गोली चलाने के बाद सभी हमलावर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। विधायक के परिवार के सदस्य घर के अंदर थे, इसके कारण वे बच गए और किसी को गोली नहीं लगी। गोलियों की आवाज सुन कर जब घर के लोग बाहर निकले तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि हमलावरों ने गोलियां क्यों चलाईं। इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद ही कारणों का पता चल सकेगा।

निगम बैठक में 15 हजार करोड़ के घोटाले पर हंगामा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 मई।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आम सभा में सोमवार को 15000 हजार करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में आयुक्त पर लगे आरोपों पर जमकर हंगामा व नारेबाजी हुई। घोटाले की जांच सीबीआइ से कराए जाने की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मांग को नकारते हुए मेयर ने सदन की पांच सदस्यों की कमेटी गठित कर दी। इससे पहले मेयर ने ही निगम के तीन आला अधिकारी की देखरेख में जांच कमेटी बनाने की घोषणा की थी। कांग्रेस और आप का कहना था कि इस कमेटी का गठन महज एक दिखावा है और निगम के आला अधिकारियों सहित सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ नेताओं को बचाने की प्रक्रिया है। बैठक शुरू होते ही अल्पकालिक प्रश्न पर मुकेश गोयल और अनिल कुमार के बहस पर कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने कहा कि 15000 हजार करोड़ रुपए के जमीन घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

नए युग के प्रतिमान आज की बैंकिंग सुविधाएं

31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष का लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(रु लाख में)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2017 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)		263569	1055620	267288
इस अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)(कर से पूर्व, असामान्य और /या असाधारण मदें)		-125205	-294668	-94332
इस अवधि के लिए कर से पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (असामान्य और /या असाधारण मदों के बाद)		-125205	-294668	-94332
इस अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (असामान्य और /या असाधारण मदों के बाद)		-26062	-145444	7356
इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ / (हानि) समेत एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]		-26062	-145444	7356
इक्विटी शेयर पूंजी		300000	300000	139436
आरक्षित (पुनर्मूल्यन आरक्षित को छोड़कर जैसा कि पिछले वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित है)		471475	471475	503042
प्रति शेयर अर्जन (प्रति शेयर रु. 10/-) (जारी एवं बंद परिचालनों के लिए)	आधारभूत	-1.69	-9.65	0.55
	न्यूनीकृत	-1.69	-9.65	0.55

कृते यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

स्थान - कोलकाता
दिनांक - 28.05.2018

ह/-
अशोक कुमार प्रधान
कार्यपालक निदेशक

ह/-
पवन बजाज
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणीः उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत तिमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का सारांश है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात् (www.nseindia.com और www.bseindia.com) तथा बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofinida.com पर उपलब्ध है।

ग्राहक जागरूकता - आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का विवरण जैसे अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड के यूजर आईडी/पासवर्ड/सीवीवी/ओटीपी किसी भी व्यक्ति को टेलीफोन अथवा ई-मेल द्वारा न बताएं।

Follow us on www.facebook.com/UnitedBankOfIndiaOfficial http://twitter.com/UnitedBanktweet

यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका बैंक

United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U

Website : www.unitedbankofindia.com

आग से 200 झुग्गियां खाक, बाल-बाल बचे लोग

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 28 मई।

बरौला गांव के नाले के पास खाली जमीन पर बसी करीब 200 झुग्गियां रविवार रात करीब एक बजे जलकर खाक हो गईं। शार्ट सर्किट से लगी आग ने कुछ ही घंटों में विकराल रूप धारण कर लिया। झुग्गियों में रखे दर्जनों सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। जिनकी आवाज सुनकर आसपास के इलाकों के लोग वहां पहुंचे। हालांकि आग में केवल सामान जला, लोग बाल-बाल बच गए। आरोप है कि दमकल विभाग की गाड़ी आग लगने के एक घंटे बाद पहुंची। सोमवार तड़के से कई सामाजिक संगठनों ने विस्थापितों के भोजन, कपड़े व आश्रय आदि के प्रबंध किए। आग में झुलसे नौ साल के एक बच्चे को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भेजा गया है। आग में एक महिला और दो पुरुष भी झुलसे थे, जिन्हें जिला अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।

सेक्टर-49 स्थित बरौला गांव के गंदे नाले के पास खाली जमीन पर करीब 200 झुग्गियां बसी हुई थीं। इनमें रहने वाले पुरुष कबाड़ बीनने और महिलाएं आसपास की कोठियों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती हैं। बताया जा रहा है कि इनके रहने की व्यवस्था कबाड़ ठेकेदारों की तरफ से की गई थी।

निजी अस्पतालों पर सख्त हुई दिल्ली सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 मई।

दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। इसके तहत जो अस्पताल सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। निर्देशों के मुताबिक, अगर निजी अस्पताल केंद्र द्वारा जारी जरूरी दवाओं की सूची के बाहर की दवा लिखते हैं तो उन्हें इसका कारण मरीज को बताना पड़ेगा। साथ ही अस्पताल दवाओं पर खरीद दाम से 50 फीसद से ज्यादा शुल्क नहीं लगा सकते। इसके अलावा अस्पताल बकाया भुगतान न किए जाने का बहाना कर मृतक का शव देने से भी इनकार नहीं कर सकते।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि निजी अस्पतालों पर बनाई गई समिति के फैसलों को लोगों के सुझाव के लिए सार्वजनिक किया जा रहा है, जिसके बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा। 30 दिनों तक लोग फैसले पर सुझाव भेज सकते हैं। जैन ने कहा कि इसके साथ ही दिल्ली के नर्सिंग होम एक्ट के नियमों में भी बदलाव लाया जाएगा ताकि इन निर्देशों को नहीं मानने वाले निजी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जा सके।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने 376 जरूरी दवाओं की सूची (नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन) बना रखी है। अस्पताल इस सूची से ही दवा लिखेंगे, इसके बाहर की दवा लिखते हैं तो उन्हें मरीज को इसका कारण बताना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि निजी अस्पताल 376 दवाओं को एमआरपी पर बेच सकते हैं क्योंकि इनकी दर केंद्र ने पहले ही निर्धारित कर रखी है। दूसरी दवाओं पर खरीद मूल्य के ऊपर अधिकतम 50 फीसद ही शुल्क लगाया जा सकता है। जैन ने कहा कि जांच के बारे में समिति सहमत नहीं हो पाई इसलिए एक उप समिति बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल मरीज को अपने यहां से दवाइयां खरीदने पर भी मजबूर नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों की ओर से दिए जाने वाले पैकेज को भी नियमित करने का फैसला लिया है। जैन ने कहा पैकेज के तहत इलाज करवा रहे मरीज को अगर दूसरी सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वह आधी दर पर ही करनी होगी। इसके अलावा अस्पताल हाई रिस्क पैकेज भी दे सकते हैं जिनका दाम सामान्य पैकेज से 20 फीसद ज्यादा होगा।

UFLEX 'A part of your daily life'

यूफ्लैक्स लिमिटेड

CIN : L74899DL1988PLC032166

रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922, वेबसाईट : www.uflexltd.com, इमेल : flexsec@vsnl.net

31.03.2017 को समाप्त तिमाही एंव वर्ष के दौरान अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम

(₹ लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	31.03.2018 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31.12.2017 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	31.03.2017 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)
1.	कुल आय	181473	167976	171389	680853	652529
2.	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	8458	5164	8917	35070	39044
3.	कर पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि)	7066	5165	9653	30900	34668
4.	सहयोगी एवं गैर-नियंत्रित ब्याज को शेयरों में लाभ/(हानि) पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	7113	5201	9819	31048	34846
5.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/हानि] (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	12079	2330	8129	37947	20678
6.	समतुल्य अंश पूंजी	7221	7221	7221	7221	7221
7.	अन्य इक्विटी, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त एवं गैर-नियंत्रित ब्याज पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	390250	355661	355661	390250	355661
8.	आय प्रति शेयर (ईपीएस)					
	मूलभूत	9.85	7.20	13.60	43.00	48.25
	द्रव्य	9.85	7.20	13.60	43.00	48.25

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही एंव वर्ष के समेकित वित्तिय विवरण के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही एंव वर्ष के स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तिय विवरण का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.nseindia.com, www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com पर उपलब्ध है।

कृते यूफ्लेक्स लिमिटेड
हस्ता/-
(अशोक चतुर्वेदी)
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
DIN - 00023452

स्थान : नोएडा
दिनांक: 28.05.2018

सीबीएसई परिणाम के बाद डीयू के परामर्श सत्र में उमड़ी भीड़

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 मई।

सीबीएसई के बारहवीं कक्षा के शनिवार को आए नतीजों के बाद सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के परामर्श सत्र में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और उनके अभिभावक पहुंचे। इस दौरान आयोजित दो सत्रों में 1300 से अधिक लोग पहुंचे और दाखिला प्रक्रिया से जुड़े अपने सवालों के जवाब जाने।

पहला परामर्श सत्र सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक हुआ और डीयू के छात्र कल्याण के डिप्टी डीन डॉ गुरप्रीत सिंह टुटेजा ने विद्यार्थियों व अभिभावकों को पूरी दाखिला प्रक्रिया समझाई। इसके लिए उन्होंने पहले एक पावर प्वाइंट प्रजंटेशन दिया और साथ ही उसे विस्तार से समझाया। इसके बाद उन्होंने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के सवालों के जवाब दिए। डॉ टुटेजा ने बताया कि सीबीएसई का परिणाम आने के बाद सोमवार को पहले परामर्श सत्र में आए अधिकतर छात्र अपने अंकों के मुताबिक किस पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाएगा।